

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P.ESTATE, NEW DELHI**

NO:F.10 (210)/EX./IMFL/2011-12/ 4623-42

Dated: 30/11/22

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" on account of General Election of 250 wards of the Municipal Corporation of Delhi-2022 in the National Capital Territory of Delhi by all L-1, L1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10, P-10A and P-13 licensees of the Excise department and opium vends located in the National Capital Territory of Delhi.

- 1 From 17:30 Hours of 2nd December, 2022 (Friday) to 4th December, 2022 upto 17:30 Hours (Sunday) and;
- 2 From 00:00 Hours to 24:00 Hours on 7th December, 2022 (Wednesday) [date of counting of Votes].

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days, as already notified vide notification No.F.10(56)/96-97/IMFL/EX/PF/3415-33 dated 03.10.2022.

K. Mohan Uppu
30/11/22

**(KRISHNA MOHAN UPPU)
COMMISSIONER (EXCISE)**

NO:F.10 (210)/EX./IMFL/2011-12/ 4623-42

Dated:

Dt = 30/11/22

Copy forwarded to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi
3. Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt of NCT of Delhi.

4. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
5. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Commissioner of Police, NCT of Delhi
7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue) NCT of Delhi
8. The Secretary, Delhi State Election Commissioner, Delhi
9. Dy. Commissioner (Excise), Deptt. Of Excise, Entt. & Luxury Tax, Govt. of NCT of Delhi.
10. The Managing Director, DSIDC, DTTDC, DSCSC and Administrator, DCCWS.
11. The Director of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi for wide publicity
12. Deputy Secretary (General Administration Department), Govt. of NCT of Delhi for notification in the Delhi Gazette.
13. The Deputy Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi
14. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
15. A.C. (ESCIMS) for uploading the same on the online portal through TCS.
16. In-charge Computer Cell for necessary action.
17. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
18. All licensees for compliance.
19. Guard File.



(JITENDRA AGRAWAL)
DEPUTY COMMISSIONER (EXCISE)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त

एल- ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. १०(२१०)/आब/आई.एम.एफ.एल/ २०११-१२/ 4623 - 48

दिनांक: 30/11/22

आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के आम चुनाव होने के कारण निम्नलिखित तारीखों को "शुष्क दिवस" घोषित किया जाता है जो कि आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों एल-१, एल-१एफ, एल-२, एल-३, एल-४, एल-५, एल-६, एल-६एफजी, एल-६ एफई, एल-८, एल-९, एल-१०, एल-११, एल-१४, एल-१५, एल-१५ एफ, एल-१६, एल-१६ एफ, एल-१७, एल-१७ एफ, एल-१८, एल-१८ एफ, एल-१९, एल-१९ एफ, एल-२०, एल-२० एफ, एल-२१, एल-२१ एफ, एल-२२, एल-२३, एल-२३एफ, एल-२५, एल-२६, एल-२१, एल-२८, एल-२८ एफ, एल-२९, एल-२९ एफ, एल-३१, एल-३२, एल-३३, एल-३४ एवं एल-३५, पी-१०, पी-१०ए, पी-१३ और अफीम की दुकान के लाइसेंस धारकों पर लागू होगा।

1. दिनांक 02.12.2022 (शुक्रवार) संध्याकाल 05:30 से दिनांक 04.12.2022 (रविवार) से संध्याकाल 05:30 तक
2. दिनांक 07.12.2022 (बुधवार) को 00:00 बजे से 24:00 घंटे तक [मतगणना दिवस]

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 03.10.2022 की अधिसूचना संख्या सं.फा. 10(56)/96-97/आई.एम.एफ.एल /आब /पी.एफ./3415-33 के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।

कृष्ण मोहन
30/11

(कृष्ण मोहन उप्पू)

आबकारी आयुक्त

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के प्रधान सचिव, राज निवास दिल्ली.
2. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
3. माननीय वित्त मंत्री दिल्ली के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
4. मुख्य सचिव दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
5. प्रधान सचिव, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
6. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
7. संभागीय आयुक्त एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
8. सचिव, दिल्ली राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली
9. उपायुक्त (आबकारी/कर), आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
10. प्रबंधक निदेशक, डी.एस.आई.डी. सी. डी. टी. टी. डी. सी. डी.एस.सी.एस.सी एवं प्रशासक, डी.सी.सी.डब्लू. एस. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली) राजपत्र के प्रकाशनार्थ
12. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली गजट में अधिसूचना के लिए
13. उप सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग इस आदेश को सभी लाइसेंसधारियों को जो उनके नियंत्रण में हैं, उनको प्रसारित करने हेतु
15. सहायक आयुक्त (ई.एस.सी.आई.एम.एस.) विभागीय पोर्टल पर टी. सी. एस द्वारा उपलोड कराने हेतु.
16. प्रभारी कंप्यूटर सेल, विभागीय वेबसाइट पर उपलोड कराने हेतु
17. सभी आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षक कड़ाई से अनुपालन हेतु
18. सभी लाइसेंसधारकों को अनुपालन हेतु
19. गार्ड फाइल

जितेंद्र अग्रवाल
(जितेंद्र अग्रवाल)

आबकारी उप-आयुक्त